न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 142 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. बहादुरसिंह पुत्र वीरसिंह 2. शम्भुसिंह पुत्र वीरसिंह 3. गुलाबसिंह पुत्र जोगराजसिंह 4. केसरकंवर पत्नी वीरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर	1. हाकमसिंह पुत्र नाथूसिंह 2. मतीकंवर पत्नी सुमेरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55 / 2022 बअनवान हाकमसिंह बनाम बहादुरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.03.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1042 रकबा 02.6871 हैक्टयर में उतरदाता / वादी संख्या 01 का 21 / 83 वां हिस्सा घोषित कर बंटवाड़ा करने का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खसरा संख्या 1042 के अलावा एक अन्य भूमि खसरा संख्या 1079 अवस्थित है एवं दोनो खसरान की भूमियां पास पास में अवस्थित है एवं पक्षकारान के मध्य पूर्व में बहामी बंटवाडा हो चुका है एवं बहामी बंटवाडा हो चुका है एवं बहामी बंटवाडा में वादी/उतरदाता संख्या 01 को खसरा संख्या 1079 में कब्जा एवं भूमि दी गई एवं खसरा संख्या 1042 की भूमि में अपीलांट को ज्यादा हिस्सा दिया गया एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है किन्तु उतरदाता संख्या 01 ने वास्तविक तथ्य छुपाकर खसरा संख्या 1079 में अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा अवस्थित होने के पश्चात भी खसरा संख्या 1042 जिसमें अपीलांट का ज्यादा भूमि पर है के संबंध में केवल एक खसरे का ही वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा 212 का आवेदन पेश किया गया। आगामी पेशी पर अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण में जबावदावा पेश कर दोनो पक्षकारान के मध्य संयुक्त आराजी अर्थात खसरा संख्या 1042 व 1079 दोनों में ही बंटवाड़ा करने का अनुतोष चाहना था किन्तु इसके पश्चात अधीनस्थ अधिकारी ने गलत रूप से अपीलांट का जबावदावा के अवसर को बन्द कर दिया। जबकि अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को खोलते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2022 बअनवान हाकमसिंह बनाम बहादुरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रविण बिसानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर